



# Order Sheet (Subsequent)

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (पब्लिक वर्क)  
बोधपुर

2024/52  
CNR NUMBER

Number of Case

A/351/Year 2024

चन्द्र देवी व अश्व  
U/S-212

Versus

परिशीलना मिडिया व  
R.T.A. 1955

अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of contents of the Order
	<p>द्वारा प्राचीणिता की 06-17 बीघा भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अतः प्राचीणिता को पाबंद किया जाने कि वे प्राचीणिता की भूमि में दरबल ना करें।"</p> <p>मुताबिक बधस अचि: अग्रणी से.0</p> <p>- " NHAII द्वारा अवाप्त भूमि पर ही कार्य किया जा रहा है प्राचीणिता द्वारा NHAII का विकास कार्य बाधित किया जा रहा है। Land Acquisition Act 2013 की धारा 63 के अनुसार मा. Supreme Court &amp; High court के अलावा अन्य किसी न्यायालय को निषेधात्मक संबंधी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।</p> <p>NHAI Act 1988, section 28 के अनुसार - "No suit shall lie against the authority for anything which is done in good faith." अतः प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।"</p> <p>उपरोक्त बधस, दस्तावेजों के अनुसार प्रा.पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है - प्राचीणिता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पैदा नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि प्राचीणिता की भूमि में दरबल अंदाजी</p>	

# FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

## Order Sheet

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)

CNR NUMBER 2024/152

Court of ..... at .....

Kind of the Case U/s- 212 R.T.A. 1355

Number of Case A/351/ Year 2024

सर्वे देवी व अन्य Versus परिशीलना निदेशित व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>की जा रही है। अतः प्रथम दृष्टया मामल प्रार्थीगण के विरुद्ध तय होता है यदि किसी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो यह NHAI के विधि-सम्मत development work को बाधित करेगा, अतः अपूरणीय गति एवं सुविधा का संतुलन के बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाते हैं। उपरोक्त के आचार पर प्र.पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल- शुमार होकर दारिखल- दफ्तर ही।</p>	<p>Principal सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर</p>

